

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/204 -2001-वि0 1 (3) दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001

~~मेजर आर. डब्ल्यू. कपूर डी. डी. पी. पब्लिक स्कूल अंबाला~~  
को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से ~~1st 2~~ स्तर की सम्बन्धता  
लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय  
समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता  
रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह  
विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र  
वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001


इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. जिला शिक्षा अधिकारी ~~डी. ए. काला~~ को उनके पत्र क्रमांक ~~जी. 2/2001/7~~  
दिनांक ~~1-6-2001~~ के संदर्भ में।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक ~~मेजर आर. डब्ल्यू. कपूर डी. डी. पी.~~  
~~पब्लिक स्कूल अंबाला घोषिनी~~
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रीत  
बिहार, नई दिल्ली- 11002.

M. S. S.

  
Principal,

Maj. R. N. Khera D. A. P. Public School  
(Senior Secondary) Ambala Cantt. Poor

  
Manager,  
D. A. P. Public School  
(Senior Secondary)  
Ambala Cantt.

  
अधीक्षक विद्यालय-1  
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, चण्डीगढ़.